

नोटिश

द0प्र0स0 की धारा 91 के अधीन

सेवा में,

माननीय विधायक श्री सरयू राय
झारखण्ड, विधानसभा, राँची ।

प्रसंग:- डोरण्डा थाना कांड सं0-105/2022 दिनांक 02.05.2022 धारा-409/379/411/120(बी)/420
भा0द0वि0 एवं 5(1)(A)/5(2)The official secrets Act 1923

विषय:- कांड में अग्रतर कारवाई हेतु मोबाईल सेट उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

इस नोटिश के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि डोरण्डा थाना कांड सं0-105/2022 दिनांक
-02.05.2022 धारा-409/379/411/120(बी)/420 भा0द0वि0 एवं 5(1)(A)/5(2)The official secrets Act
1923 में आप अभियुक्त है। वरीय पदाधिकारी के पर्यवेक्षण टिप्पणी में निर्देश प्राप्त है कि मार्च/अप्रैल-2022 में
आपके द्वारा उपयोग में लाये गये मोबाईल सेट को प्राप्त करें। उक्त दिये गये निर्देश के आलोक में आपसे
अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर माह मार्च/अप्रैल-2022 में आपके द्वारा उपयोग में लाये गये
मोबाईल सेट को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि कांड के अनुसंधान में अग्रतर कारवाई की जा सके ।

कृपया सादर सूचनार्थ ।



विश्वासभाजन
नारीश श्री कान्त
03/05/2022
पु0अ0नि0 सह अनुसंधानकर्ता
डोरण्डा थाना, राँची ।
मो0नं0-6205993371